

प्रमुख,

श्री अशोक नांगुली,  
उप सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

सचिव,  
राज्य केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,  
गिरीधर रोड 2 समुदाय केन्द्र, प्रीतिविहोर  
नई दिल्ली 110092

दिनांक 17: अनुमान

संलग्नक: दिनांक: 16 जून, 1993

विषय:- केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद, गिरीधर रोड, नई दिल्ली को लीटिंग/रजिस्ट्रार नई दिल्ली से सम्बन्धित अनुसूचित प्रमाण पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में ।

सहोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह बताने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद, गिरीधर रोड, नई दिल्ली से सम्बन्धित अनुसूचित प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपरित नहीं है :-

- 1- विद्यालय की परीक्षित सीताइटी का समय समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
- 2- विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
- 3- विद्यालय में कम से कम एक प्रतिष्ठित स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनके उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विशिष्ट स्थानों के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
- 4- संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से केन्द्रीय शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संस्था केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/बोर्डिंग फार दि इंजिन स्कूल नहीं लिखित प्रमाणों/लेख/प्रमाणों/प्रमाणों/प्रमाणों के द्वारा नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा परिषद से सम्बन्धित प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता तथा राज्य सरकार से अनुदान स्थल: समाप्त हो जायेगी ।
- 5- संस्था के अधिक से अधिक कर्मचारियों को राष्ट्रीय तहसील प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुसूचित वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्तों नहीं दिये जायेंगे ।

Principal  
National Public School  
Rajender Nagar, Sahibabad, Gzb.

6- कर्मचारियों की सेवा इति कनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त असातवीं उपखंड माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुमन्त्र सेवा नियुक्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेगा ।

7- राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी ।

8- विद्यालय का रिजर्व निर्धारित प्रमाण/वीक्याजी में रखा जायेगा ।

9- उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन या परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा ।

2- उपरोक्त अनापूर्ति प्रमाण पत्र इन शर्तों के साथ दी जा रही है कि/किसे विद्यालय में अग्रिमिहित अध्यापकों का नियुक्ति नहीं की जायेगी ।

3- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की देर या शिथिलता करती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापूर्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय,

।आर.क. गाँधी।  
उप सचिव ।

पत्रांक 2317116/15-7-1993 तदतिनांक  
.....

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनायें एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- मध्यमिक उप शिक्षा निदेशक, मेरठ मण्डल, मेरठ ।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, गाजियाबाद ।
- 4- निरीक्षक, अखिल भारतीय विद्यालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 5- प्रबन्धक, नेशनल पब्लिक स्कूल, राजेन्द्रनगर गाजियाबाद, गाजियाबाद ।

आपके से,

Principal

National Public School  
Rajender Nagar, Sahibabad, Gzb.

।आर.क. गाँधी।  
उप सचिव ।